प्रेषक,

राम लाल–द्वितीय,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0–6, बिजनौर।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
बिजनौर।

विषयः– नव परिभाषित अंशदायी पेंशन (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के स्थान पर **पुरानी पेंशन योजना** (OLD PENSION SCHEME) के विकल्प में ई–सर्विसेज पोर्टल पर प्राप्त आपत्ति के निराकरण के संबंध में।

महोदय,

1– उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में सादर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 द्वारा निर्गत शसनादेश संख्या–14/2024/सा–3–243/दस–2024/301 (1)/2024 दिनांकित 28 जून, 2024 सपठित शासनादेश संख्या–20/2024/सा–3–276/दस–2024/301 (1)/2024 दिनांकित 11 जुलाई, 2024, के अनुकम में नव परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प का चयन करते हुए ई–सर्विसेज पोर्टल पर पत्रांक संख्या–5691 दिनांक 08–08–2024 से प्रेषित किया गया था, जिस पर यह आपत्ति प्राप्त हुयी है कि विकल्प–पत्र वर्तमान सेवा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा से संबंधित विवरण के साथ ही ई–सर्विसेज पोर्टल पर तथा पंजीकृत डाक से भेजा जाए तथा पूर्व सेवा में पुरानी पेंशन योजना का विकल्प देने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या–10219/IV-F-82 (Pension)/Admin. (A) Dated:July 29, 2024 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाए।

2– उपरोक्त संबंध में सादर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आपत्ति के निराकरण मे उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में जो कि प्रार्थी की वर्तमान सेवा है, से संबंधित विवरण विकल्प–पत्र में भरकर माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित किया जा रहा है।

3– प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या–10219/IV-F-82 (Pension)/Admin. (A) Dated:July 29, 2024 के अनुपालन में अपनी प्रथम नियुक्ति के विभाग (अभियोजन विभाग) को भी पुरानी पेंशन योजना हेतु पत्रांक संख्या–5690 दिनांक 08–08–2024 से विकल्प–पत्र प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति ई–सर्विसेज पोर्टल पर माननीय महोदय की सेवा में भी दिनांक 08–08–2024 को प्रेषित किया गया है।

4– अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 के अन्तर्गत प्रार्थी को **पुरानी पेंशन योजना** का लाभ प्रदान किये जाने हेतु समुचित कार्यवाही किये जाने की कृपा की जाए, आपकी महान कृपा होगी।

सादर।

भवदीय,

18.09.24

दिनांक–18–09–2024

(राम लाल–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0–6, बिजनौर।
JO Code-6467

संलग्नक–
विकल्प–पत्र।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बिजनौर।

पत्रांक संख्या– 6003 दिनांक 18/09/2024

महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अग्रसारित।

जनपद न्यायाधीश,
बिजनौर।
District Judge
Bijnor-U.P.

शासनादेश संख्या–20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलग्लक–

विकल्प पत्र

1. नाम	– राम लाल (Ram lal)
2. वर्तमान पदनाम	– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
3. वेतनमान	– J5-1,44,840-1,94,660/– रूपये।
4. वर्तमान विभाग का नाम	– न्याय विभाग/उत्तर प्रदेश शासन (माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद)/जिला एवं सत्र न्यायालय, जनपद बिजनौर।
5. राज्य सरकार के अधीन **प्रथम नियुक्ति** के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम	– उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा, सिविल जज (जू0डि0), उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद।
6. विज्ञप्ति की तिथि	– Advt. N0. A-2/E-1/2003, November 15, 2003
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि	– उ0प्र0 शासन नियुक्ति अनुभाग–4 संख्या–2430/दो–4–06–32 (1)2001 टी.सी.–1 लखनऊ दिनांक 26 मई, 2006
8. योगदान की तिथि	– 21 जून, 2006
9. जन्म तिथि	– 15–01–1976
10.सेवानिवृत्ति की तिथि	– 31–01–2036

मै **राम लाल पुत्र श्री शिव सम्पत** शासनादेश संख्या–14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुकम में **पुरानी पेंशन योजना में** सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाय।

हस्ताक्षर– 18.09.24
नाम – राम लाल
पदनाम – अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिजनौर।

घोषणा पत्र

मै **राम लाल पुत्र श्री शिव सम्पत** पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिजनौर यह घ ोषणा करता हूँ कि उपरोक्त कम संख्या–01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी मे सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर– 18.09.24
नाम – राम लाल
पदनाम – अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिजनौर।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा।

श्री **राम लाल पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिजनौर** को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **पुरानी पेंशन योजना में** सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति
District Judge
Bijnor-U.P.